अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (अनुसंधान अनुभाग)

अंसारी नगर, नई दिल्ली-110029

फा.सं.5-56/अति.प्र./2009/अनु.अनुभाग./परि.मि.

दिनांक: 1 1 NOV 2019

ज्ञापन

विषय: अनुसंधान अनुभाग हेतु अतिरिक्त शुल्क में संशोधन संबंधी।

अनुसंधान अनुभाग द्वारा अतिरिक्त शुल्क में कटौती के संबंध में दिनांक 02.03.2010 के पूर्व कार्यालय आदेश संख्या एफ.5-56/ए.चार्जिस/2009/रिस.सेक्. का अधिक्रमण करते हुए सक्षम प्राधिकारी एम्स द्वारा अतिरिक्त शुल्क को निम्नानुसार सहर्ष संशोधित किया जाता है:

- वित्तपोषित परियोजना हेतु आवेदन जमा करते समय निर्धारित किए जाने वाले अतिरिक्त शुल्क
 - (क) किसी भी सरकारी निधिकरण एजेंसी (आई.सी.एम.आर., डी.एच.आर., डी.एस.टी., डी.बी.टी., सी.एस.आई.आर., डी.आर.डी.ओ. मंत्रालयों आदि) के पास परियोजना हेतु आवेदन करते समय प्रमुख अन्वेषक को परियोजना प्रस्ताव (श्रम-बल+उपभोग्य+यात्रा+आकस्मिकता+ मशीनरी एवं उपकरण आदि) में प्रस्तावित कुल अनुदान राशि की 5% की दर से अतिरिक्त राशि निर्धारित करनी चाहिए।
 - (ख) किसी भी गैर-सरकारी/अंतर्राष्ट्रीय/नैदानिक परीक्षण/उद्योग द्वारा प्रायोजित अध्ययन हेतु परियोजना के लिए आवेदन करते समय प्रमुख अन्वेषक को परियोजना प्रस्ताव (श्रम-बल+उपभोग्य+यात्रा+ आकस्मिकता+मशीनरी एवं उपकरण आदि) में प्रस्तावित कुल अनुदान राशि की 10% की दर से अतिरिक्त राशि का निर्धारण करना चाहिए।
- 2. परियोजना की स्वीकृति के पश्चात अनुसंधान अनुभाग द्वारा अतिरिक्त शुल्क में कटौती
 - (क) सरकारी निधिकरण एजेंसियों के लिए अनुसंधान अनुभाग अतिरिक्त बजट राशि में निधिकरण एंजेंसी द्वारा वास्तव में स्वीकृत की गई राशि के अनुसार कटौती करेगा। अत: एक बार परियोजना मंजूर हो जाने के बाद



प्रमुख अन्वेषक को अनुसंधान अनुभाग के प्रशासनिक अधिकारी तथा लेखा अधिकारी के पास निधिकरण एजेंसी द्वारा जारी मंजूरी पत्र को जमा करना होगा, जिसमें बजट शीर्ष का उल्लेख होना चाहिए।

- (ख) एन.जी.ओ., सी.एस.आर. आदि सहित गैर सरकारी संगठनों की परियोजना हेतु 10% अतिरिक्त अथवा वास्तविक शुल्क लिया जाएगा (जो भी अधिक हो)।
- (ग) अंतर्राष्ट्रीय निधिकरण एजेंसियों (सरकारी तथा निजी) के लिए 10% अतिरिक्त अथवा वास्तविक शुल्क लिया जाएगा (जो भी अधिक हो)।
- (घ) नैदानिक परीक्षणों/फार्मास्यूटिकल कम्पनियों/उद्योग द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं के लिए 10% अतिरिक्त अथवा वास्तविक शुल्क लिया जाएगा (जो भी अधिक हो)।

इसे सक्षम प्राधिकारी, एम्स के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(पल्लव कुमार चित्तेज) प्रशासनिक अधिकारी

वितरणः समस्त परियोजना अन्वेषकगण

प्रतिलिपि:

- 1. निदेशक महोदय, अ.भा.आ.सं. के वैयक्तिक सहायक
- 2. संकायाध्यक्ष (अनुसंधान)/सह-संकायाध्यक्ष (अनुसंधान) के वैयक्तिक सहायक
- 3. वरिष्ठ वित्त सलाहकार/वित्त सलाहकार के वैयक्तिक सहायक
- 4. लेखा अधिकारी (अनुसंधान अनुभाग)
- 5. प्रभारी, कंप्यूटर सुविधा- इसे एम्स की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।

ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES (RESEARCH SECTION)

Ansari Nagar, New Delhi - 110 029

F.No. 5-56/A. Charges/2009/Res. Sec. / P. File

Dated:

MEMORANDUM

Sub: Revision of overhead charges for Research Section.

In supersession of earlier office orders No. F.5-56/A.charges/2009/Res.Sec. dated 2.3.2010 regarding deduction of overhead charges by the Research Section, the Competent Authority, AIIMS has been pleased to revise the overhead charges as under:

- 1. Overhead charges to be budgeted while submitting application for project funding.
 - (a) While applying for a project to any Government Funding Agency (ICMR, DHR, DST, DBT, CSIR, DRDO, Ministries etc.), the PI should budget for overheads @ 5% of the total grant amount proposed in the project proposal (Manpower + consumable + Travel + Contingency + Machinery & Equipment etc.).
 - (b) While applying for a project to any Non Government / International / Clinical Trial/Industry Sponsored study, the PI should budget for overhead @ 10% of the total grant amount proposed in the project proposal (Manpower + consumable + Travel + Contingency + Machinery & Equipment etc.).
- 2. Deduction of overhead charges by Research Section after project is sanctioned.
 - (a) For Government funding agencies, the Research Section will deduct the overhead budget amount as per actuals sanctioned by the funding agency. Hence, once the project is sanctioned, PI will be required to submit a sanction letter from funding agency indicating budget heads to both Administrative Officer and Accounts Officer of Research Section separately.
 - (b) For Project of Non-Government Organization including NGCs, CSR, etc., 10% overhead or actuals will be charged (whichever is higher).
 - (c) For International funding agencies (Government as well as Private) 10% overhead or actuals will be charged (whichever is higher).
 - (d) For Clinical Trials/Pharmaceutical Companies sponsored/industry sponsored projects 10% overhead or actuals will be charged (whichever is higher).

This issues with the approval of Competent Authority, AIIMS.

(PALLAV KUMAR CHITTEJ).
Administrative Officer

Distribution: All Project Investigators

Copy to: PA to Director AIIMS

PA to Dean (Res.)/Associate Dean (Res.)

PA to Sr. FA / F.A.

Accounts Officer (Res. Sec.)

Incharge Computer Facility - with the request to upload the OM on the

AIIMS Website